(23)

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर सवाई माधोपुर

पीठासीन अधिकारी –संजय शर्मा

प्रार्थना पत्र संख्या 94 / 2021 तारीख रजू 04.10.2021

सरकार जरिये तहसीलदार (लैण्ड होल्डर) मलारना डूंगर

..........प्रार्थी

बनाम

1. सैय्याद पुत्र रहमत अली जाति नाई निवासी बाढ बिलोली तह0 मलारना डूंगर
2. हारून बानो पत्नी सैय्याद जाति नाई निवासी बाढ बिलोली तह0 मलारना डूंगर

.........अप्रार्थीगण

उपस्थित अधिवक्ता–

पेरोकार सरकार – प्रार्थी की ओर से

श्री श्याममोहन शर्मा एडवोकेट – अप्रार्थीगण की ओर से

निर्णय दिनांक 28.07.2025

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र 14 (4) तहसीलदार मलारना डूंगर द्वारा आवंटन सलाहकार समिति द्वारा पारित आवंटन आदेश दिनांक 06.06.2002 के विरूद्व प्रस्तुत किया गया जिसके द्वारा अप्रार्थीगण सैय्याद पुत्र रहमत अली जाति नाई निवासी बाढ बिलोली तह0 मलारना डूंगर एवं हारून बानो पत्नी सैय्याद जाति नाई निवासी बाढ बिलोली तह0 मलारना डूंगर को आराजी खसरा नम्बर 760 / 1921 किस्म बंजड रकबा 0.25 है. वाके ग्राम बाढ बिलोली में आदेश दिनांक 06 / 06 / 2002 द्वारा आवंटन किया गया था। अप्रार्थी को आवंटितशुदा खसरा नम्बर 760 / 1921 किस्म बंजड रकबा 0.25 है. पर भू.अ. निरीक्षक चक बिलोली व पटवारी हल्का चक बिलोली की रिपोर्ट दिनांक 23.07.2021 के अनुसार मौके पर आवंटियों का कब्जा नहीं होने व आवंटित शुदा भूमि उबड खाबड नालेदार भूमि है। आवंटियों द्वारा आवंटन शर्तों की पालना नहीं किये जाने के कारण आवंटन को निरस्त करने हेतु निवेदन किया गया।

प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर अप्रार्थीगण की तलबी जरिये नोटिस की गयी। अप्रार्थीगण जरिये अधिवक्ता उपस्थित। अदालत मातहत से मूल पत्रावली प्राप्त। बहस उभय पक्ष सुनी गयी।

पेरोकार सरकार ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों की ओर ध्यान आकर्षित कर बहस में तर्क दिया कि अप्रार्थी को आवंटितशुदा भूमि खसरा नम्बर 760 / 1921 किस्म बंजड रकबा 0.25 है. पर भू.अ. निरीक्षक चक बिलोली व पटवारी हल्का चक बिलोली की रिपोर्ट दिनांक 23.07.2021 के अनुसार मौके पर आवंटियों का कब्जा नहीं है व आवंटित शुदा भूमि उबड खाबड नालेदार भूमि है। पुनःश्च पेरोकार सरकार ने अपनी बहस में तर्क दिया कि [illegible] सम्वत 2073–76 के संवत 2076 की गिरदावरी के अनुसार भूमि मौके पर पडत [illegible] हुई [illegible] जिससे यह साफ जाहिर होता है कि अप्रार्थीगण का आवंटितशुदा भूमि पर कब्जा नहीं है [illegible] पेरोकार सरकार द्वारा

Signature Not Verified
Digitally signed by Sanjay Sharma
Date: 2025.08.07 13:28:48 IST
Reason: SelfAttested

न्याय निर्णयन अधिकारी
एवं अति. जिला मजिस्ट्रेट
सवाई माधोपुर

आवंटन सलाहकार समिति द्वारा पारित आवंटन आदेश दिनांक 06.06.2002 को निरस्त करने हेतु निवेदन किया गया।

वकील अप्रार्थीगण द्वारा पेरोकार सरकार द्वारा की गई बहस का खण्डन करते हुए बहस में तर्क दिया कि पटवारी एवं गिरदावर द्वारा प्रिंटेड मौका रिपोर्ट पेश की है। जोकि न्यायिक कार्यवाही में प्रयुक्त नहीं की जा सकती है। तहसीलदार मलारना डूंगर द्वारा हम आवंटियों को आवंटित भूमि का आवंटन खारिज करने हेतु लगभग 19 वर्ष बाद प्रार्थना पत्र पेश किया है। हम अप्रार्थीगण को आवंटन सलाहकार समिति ने दिनांक 06.06.2002 को आवंटन आदेश जारी कर ख0नं0 760/1921 किस्म बंजड रकबा 0.25 है. का हमारे पक्ष में आवंटन किया था। अलॉटमेन्ट में कोई धोखेबाजी नहीं की गई है। आवंटन के पश्चात से ही लगातार हम अपनी भूमि पर काबिज है तथा नियमित काश्त कर रहे है। अन्त में वकील अप्रार्थीगण ने तहसीलदार मलारना डूंगर द्वारा प्रस्तुत प्रा0पत्र अन्तर्गत धारा 14(4) को खारिज करने का निवेदन किया।

प्रकरण में उभय पक्ष की बहस सुनने एवं उस पर मनन करने तथा पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का गहनता से अवलोकन एवं अध्ययन करने पर यह प्रतीत होता है कि अप्रार्थीगण सैय्याद पुत्र रहमत अली जाति नाई निवासी बाढ बिलोली तह0 मलारना डूंगर एवं हारून बानो पत्नी सैय्याद जाति नाई निवासी बाढ बिलोली तह0 मलारना डूंगर को आराजी खसरा नम्बर 760/1921 किस्म बंजड रकबा 0.25 है. वाके ग्राम बाढ बिलोली में आदेश दिनांक 06/06/2002 द्वारा आवंटित किया गया था। भू.अ. निरीक्षक चक बिलोली व पटवारी हल्का चक बिलोली की रिपोर्ट दिनांक 23.07.2021 के अनुसार मौके पर आवंटियों का कब्जा नहीं है व आवंटित शुदा भूमि उबड खाबड नालेदार भूमि है एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज खसरा गिरदावरी सम्वत 2073–76 के अनुसार भूमि मौके पर पड़त पडी हुई है। अप्रार्थीगण उक्त आवंटित ख0नं0 पर अपने कब्जे का प्रमाण प्रस्तुत करने में असफल रहे हैं। अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर आवंटी के द्वारा आवंटन शर्तों की पालना नहीं किया जाना पाया जाता है। अतः तहसीलदार मलारना डूंगर द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14(4) स्वीकार योग्य पाया जाता है।

अतः तहसीलदार मलारना डूंगर द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14(4) स्वीकार फरमाया जाता है तथा अप्रार्थीगण द्वारा कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन नियम 1970 की धारा 14 में वर्णित आवंटन शर्तों की पालना नहीं करने तथा अप्रार्थी का वर्तमान में आवंटित शुदा भूमि खसरा नम्बर 760/1921 किस्म बंजड रकबा 0.25 है. वाके ग्राम बाढ बिलोली पर कब्जा नहीं होने के कारण कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन नियम 1970 की धारा 14(4) के अन्तर्गत आवंटन आदेश दिनांक 06.06.2002 को निरस्त किया जाता है। तहसीलदार मलारना डूंगर को आदेशित किया जाता है कि राजस्व ग्राम मलारना डूंगर के आराजी खसरा नम्बर 760/1921 किस्म बंजड रकबा 0.25 है. वाके ग्राम बाढ बिलोली को राजस्व अभिलेख में सिवायचक दर्ज क[illegible]

निर्णय आज दिनांक 28.07.2025 को खुले न्यायालय [illegible]

Signature Not Verified
Digitally signed by Sanjay Sharma
Date: 2025.08.07 13:28:48 IST
Reason: SelfAttested

(संजय शर्मा)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर